

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(48/2008)/अलेसे -III/10604-606

दिनांक :- 14-9-15

कार्यालय आदेश

श्री राजेन्द्र बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन एवं वित्त (राजस्व) विभाग की सहमति के अनुसरण में निम्नांकित तालिका अनुसार कुल 99 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) एवं वित्त (राजस्व) विभाग के मेमोरेण्डम एफ.1(2)एफ.डी.(रूल्स)/06 पार्ट-I दिनांक 22.05.2009 एवं 11.06.2014 के क्रम में स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	असाधारण अवकाश की अवधि	कुल दिवस
1.	दिनांक 01.07.2013 से 31.07.2013	31 दिवस
2.	दिनांक 01.08.2013, 02, 12, 22 से 26.08.2013	08 दिवस
3.	दिनांक 02.09.2013 से 06.09.2013, 17, 19.09.2013 से 27.09.2013 तक	15 दिवस
4.	दिनांक 09.12.2013 से 10.12.2013 एवं 23.12.2013 से 31.12.2013 तक	11 दिवस
5.	20.01.2014 से 29.01.2014 तक	10 दिवस
6.	10.02.2014 एवं 19.02.2014 तथा दिनांक 20.02.2014 से 28.02.2014 तक	11 दिवस
7.	दिनांक 10.03.2014	1 दिवस
8.	दिनांक 23.04.2014 से 25.04.2014 तक	3 दिवस
9.	दिनांक 07.05.2014 से 15.05.2014 तक	9 दिवस
	कुल अवकाश	99 दिवस



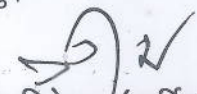
(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(48/2008)/अलेसे -III/10604-606

दिनांक :- 14-9-15

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, बाड़मेर को श्री राजेन्द्र बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार के स्वीकृत असाधारण अवकाश का आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
2. श्री राजेन्द्र बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, बाड़मेर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. एसीपी (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)